रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 12, 2008/माघ 23, 1929
No. 65] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 12, 2008/MAGHA 23, 1929

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 84(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियमावली, 2008 है ।

(2) ये 1 अगस्त, 1997 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 में, नियम 12 में उपनियम (2) में "पन्द्रह प्रतिशत" शब्दांशों के स्थान पर "तीस प्रतिशत" शब्दांश प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. ए-11014/13/07-प्र.अ.]

डॉ. एस. के. सरकार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1015(अ), दिनांक 22 अगस्त, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :–

1. सा.का.नि. 424(अ), दिनांक 4-4-1988
2. सा.का.नि. 1046(अ), दिनांक 13-12-1989
3. सा.का.नि. 729(अ), दिनांक 19-08-1992
4. सा.का.नि. 45(अ), दिनांक 31-01-1994
5. सा.का.नि. 343(अ), दिनांक 25-06-1997
6. सा.का.नि. 207(अ), दिनांक 22-3-2001 और
7. सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 18-10-2007

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के मकान किराया भत्तों को 1 अगस्त, 1997 से संशोधित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 को भूतलक्षी प्रभाव से, अर्थात् 1 अगस्त, 1997 से संशोधित किया जा रहा है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2008

G.S.R. 84(E).— In exercise of the powers conferred by section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2008.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1997.

2. In the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, in rule 12, in sub-rule (2), for the words "fifteen per cent", the words "thirty per cent" shall be substituted.

[No. A-11014/13/07-AT]

Dr. S. K. SARKAR, Jt. Secy.

Notes: The principal rules were published vide notification number G.S.R. 1015(E), dated the 22nd August, 1986 and the subsequently amended vide the following notifications:—

1. G.S.R. 424 (E), dated the 4-4-1988
2. G.S.R. 1046 (E), dated the 13-12-1989
3. G.S.R. 729 (E), dated the 19-8-1992
4. G.S.R. 45(E), dated the 31-1-1994
5. G.S.R. 343(E), dated the 25-6-1997
6. G.S.R. 207(E), dated the 22-3-2001 and
7. G.S.R. 674(E), dated the 18-10-2007

Explanatory Memorandum

On the basis of a proposal from the Government of Himachal Pradesh, the Central Government has decided to revise the house rent allowance of Members of Himachal Pradesh Administrative Tribunal with effect from the 1st August, 1997. Accordingly Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 are being amended retrospectively, that is with effect from Ist August, 1997.

It is certified that no Member of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the amendment being given retrospective effect.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 12, 2008/माघ 23, 1929
No. 65] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 12, 2008/MAGHA 23, 1929

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 84(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियमावली, 2008 है ।

(2) ये 1 अगस्त, 1997 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 में, नियम 12 में उपनियम (2) में "पन्द्रह प्रतिशत" शब्दांशों के स्थान पर "तीस प्रतिशत" शब्दांश प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. ए-11014/13/07-प्र.अ.]

डॉ. एस. के. सरकार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1015(अ), दिनांक 22 अगस्त, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :–

1. सा.का.नि. 424(अ), दिनांक 4-4-1988
2. सा.का.नि. 1046(अ), दिनांक 13-12-1989
3. सा.का.नि. 729(अ), दिनांक 19-08-1992
4. सा.का.नि. 45(अ), दिनांक 31-01-1994
5. सा.का.नि. 343(अ), दिनांक 25-06-1997
6. सा.का.नि. 207(अ), दिनांक 22-3-2001 और
7. सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 18-10-2007

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के मकान किराया भत्तों को 1 अगस्त, 1997 से संशोधित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 को भूतलक्षी प्रभाव से, अर्थात् 1 अगस्त, 1997 से संशोधित किया जा रहा है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2008

G.S.R. 84(E).— In exercise of the powers conferred by section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

IndiaCode

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2008.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1997.

2. In the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, in rule 12, in sub-rule (2), for the words "fifteen per cent", the words "thirty per cent" shall be substituted.

[No. A-11014/13/07-AT]

Dr. S. K. SARKAR, Jt. Secy.

Notes: The principal rules were published vide notification number G.S.R. 1015(E), dated the 22nd August, 1986 and the subsequently amended vide the following notifications:—

1. G.S.R. 424 (E), dated the 4-4-1988
2. G.S.R. 1046 (E), dated the 13-12-1989
3. G.S.R. 729 (E), dated the 19-8-1992
4. G.S.R. 45(E), dated the 31-1-1994
5. G.S.R. 343(E), dated the 25-6-1997
6. G.S.R. 207(E), dated the 22-3-2001 and
7. G.S.R. 674(E), dated the 18-10-2007

Explanatory Memorandum

On the basis of a proposal from the Government of Himachal Pradesh, the Central Government has decided to revise the house rent allowance of Members of Himachal Pradesh Administrative Tribunal with effect from the 1st August, 1997. Accordingly Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 are being amended retrospectively, that is with effect from Ist August, 1997.

It is certified that no Member of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the amendment being given retrospective effect.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Papers to be laid on the table of Lok Sabha/Rajya Sabha
AUTHENTICATED
लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले कागजात
अधिप्रमाणित

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 12, 2008/माघ 23, 1929
No. 65] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 12, 2008/MAGHA 23, 1929

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 84(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियमावली, 2008 है ।

(2) ये 1 अगस्त, 1997 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 में, नियम 12 में उपनियम (2) में "पन्द्रह प्रतिशत" शब्दांशों के स्थान पर "तीस प्रतिशत" शब्दांश प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. ए-11014/13/07-प्र.अ.]

डॉ. एस. के. सरकार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1015(अ), दिनांक 22 अगस्त, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए :–

1. सा.का.नि. 424(अ), दिनांक 4-4-1988
2. सा.का.नि. 1046(अ), दिनांक 13-12-1989
3. सा.का.नि. 729(अ), दिनांक 19-08-1992
4. सा.का.नि. 45(अ), दिनांक 31-01-1994
5. सा.का.नि. 343(अ), दिनांक 25-06-1997
6. सा.का.नि. 207(अ), दिनांक 22-3-2001 और
7. सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 18-10-2007

स्पष्टीकरण ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के मकान किराया भत्तों को 1 अगस्त, 1997 से संशोधित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 को भूतलक्षी प्रभाव से, अर्थात् 1 अगस्त, 1997 से संशोधित किया जा रहा है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के किसी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2008

G.S.R. 84(E).— In exercise of the powers conferred by section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2008.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of August, 1997.

2. In the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, in rule 12, in sub-rule (2), for the words "fifteen per cent", the words "thirty per cent" shall be substituted.

[No. A-11014/13/07-AT]

Dr. S. K. SARKAR, Jt. Secy.

Notes: The principal rules were published vide notification number G.S.R. 1015(E), dated the 22nd August, 1986 and the subsequently amended vide the following notifications:—

1. G.S.R. 424 (E), dated the 4-4-1988
2. G.S.R. 1046 (E), dated the 13-12-1989
3. G.S.R. 729 (E), dated the 19-8-1992
4. G.S.R. 45(E), dated the 31-1-1994
5. G.S.R. 343(E), dated the 25-6-1997
6. G.S.R. 207(E), dated the 22-3-2001 and
7. G.S.R. 674(E), dated the 18-10-2007

Explanatory Memorandum

On the basis of a proposal from the Government of Himachal Pradesh, the Central Government has decided to revise the house rent allowance of Members of Himachal Pradesh Administrative Tribunal with effect from the 1st August, 1997. Accordingly Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 are being amended retrospectively, that is with effect from Ist August, 1997.

It is certified that no Member of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the amendment being given retrospective effect.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.